एच.आई.वी./एड्स

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

मानव अधिकार और एच.आई.वी./एड्स

''आइए हम एडस के कलंक के स्थान पर सहारा देने, भय के स्थान पर आशावान बनने और खामोशी के स्थान पर एकता का संकल्प करें । आइए हम इस समझ से कार्य करें कि यह कार्य हम में से प्रत्येक द्वारा आरम्भ किया जाता है।''

कोफी अन्नान,संयुक्त राष्ट्र महासचिव
विश्व एड्स दिवस, 1 दिसम्बर 2002

एच.आई.वी./एड्स सम्मपूर्ण विश्व में अतयधिक तेजी से फैल रहा है तथा यह लोक स्वास्थ्य के लिए एक गम्भीर चुनौती के रूप में प्रकट हुआ है। एड्स से जुड़ी कलंक , द्वेष ,भय तथा खामोशी, समस्या का समाधान करना कठिन हो गया है। एच.आई.वी./एड्स के साथ सम्बद्व मानव अधिकारों का दुरूपयोग तथा मौलिक स्वतन्त्रता विश्व के सभी भागों में चिन्ता बन गई है।

- एच.आई.वी./एडस का पूरा नाम होता है – एक्वायर्ड इम्यूनो डैफीशियन्सी सिन्ड्रोम (Acquired Immuno Deficiency Syndrome).
- एच.आई.वी. दो प्रकार का होता है – एच.आई.वी.1 और एच.आई.वी.2
- एच.आई.वी.1 सबसे ज्यादा और एच.आई.वी.2 कम घातक होता है, मगर दोनों ही शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता कम कर देते हैं।
- शुरूआती दिनों के 7 से 10 सप्ताह में इसका पता नहीं चलता है। पता चलने पर 10 से 12 सप्ताह बाद ही खून की जांच करवानी चाहिए।
- बिना डाक्टरी सलाह के कुछ भी न करें।

महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- **एड्स** (उपार्जित प्रतिरक्षा- हीनता संलक्षण) एच.आई.वी.(मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वाइरस) के संक्रमण का अन्तिम चरण है

- एच.आई.वी. के संक्रमण के पश्चात् एड्स विकसित होने में लगभग 7-10 वर्ष ले सकता है।

- एच.आई.वी. शुक्र (semen) और योनि तरल के जरिए संप्रेषित होती है। वायरस जिससे एड्स होती है एच.आई.वी. प्रतिरक्षित पद्धति को क्षति पहुँचाती है। शरीर प्रतिरक्षा पद्धति शरीर का वह भाग है जो संक्रमण से लड़ता है। समय के साथ-साथ, असंक्रम्य पद्धति बहुत कमजोर हो जाती है। एच.आई.वी. के इस चरण को एड्स कहते हैं। निश्चित तौर पर यह कोई नहिं जानता कि एच.आई.वी. विभिन्न लागों में विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। एच.आई.वी. किसी व्यक्ति को बीमार करने में लम्बा समय ले सकती है और एच.आई.वी. से पीड़ित कई व्यक्ति वर्षों तक स्वस्थ रहते हैं। यह समझते हुए कि एच.आई.वी. पॉजिटिव व्यक्ति का क्या अर्थ है एच.आई.वी. पीड़ित लोगों की सहायता करता है और समर्थन देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है तथा पात्र है।

संक्रमण कैसे फैलता है ?

- संक्रमित (infected) खून
- संक्रमित सूई
- एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संपर्क
- संक्रमित माता से जन्म से पूर्व बच्चे में
- शरीर में दी जाने वाली औषध का दुरूपयोग

आंकड़े

- विश्वव्यापी सम्प्रेषण के लगभग 80 प्रतिशत वाइरस गणना रखने वाले व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन मैथुन।

- दूषित रक्त सहित इंजेक्शन तथा संक्रमित उपकरणों के प्रयोग से 3-5 प्रतिशत संक्रमण होता है तथा 5-10 प्रतिशत सार्वभौम संक्रमण अन्तः

शिरा (intra venous) औषध प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा दूषित सूईयों के पुनः प्रयोग के कारण है।

एच.आई.वी. किस प्रकार सम्प्रेषित नहीं होता है?

- हवा के जरिए-छींकना, खांसना अथवा श्वसन।
- अनियमित शारीरिक सम्पर्क द्वारा जैसे कि छूना, आलिंगन करना अथवा चुम्बन लेने से ।
- पानी द्वारा- सामान्य स्विमिंग पूल आदि के प्रयोग से ।
- शौचालयों द्वारा
- मच्छरों द्वारा
- एक ही बर्तन, टेलीफोन आदि के प्रयोग द्वारा

एच.आई.वी. सम्प्रेषण से कैसे बचा जा सकता है?

- सुरक्षित सेक्स द्वारा-एकल साथी रख कर, कंडोम का प्रयोग/ द्वारा आदि।
- स्वच्छ, विसंक्रमित सूईयों का प्रयोग तथा अनावश्यक त्वचा भेदन से बच कर।
- लगाने वाली औषध उपकरणों को कभी भी न बांट कर।
- जब आवश्यक हो तभी रक्ताधान (blood transfusion) द्वारा और केवल उचित रूप से जांच किए हुए रक्त द्वारा।

समस्या का आकार

भारत में एड्स मामलों में संक्रमण के सम्भावित स्रोत

संयुक्त राष्ट्र एड्स आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 अन्त तक एच. आई.वी./एड्स सहित विश्व में 33 करोड़ 30 लाख व्यक्ति थे। भारत में एड्स के संक्रमण के मुख्य कारण हैं :

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के अनुसार, प्रौढ़ जनसंख्या (देश में 15-49 आयु समूह) में वर्ष 2002 के लिए एच.आई.वी. अनुमानों की गणना 38 लाख 20 हजार एच.आई.वी. संक्रमण निकाली गई है। उच्च-जोखिम समूहों तथा अन्य आयु समूहों की बेहिसाब संख्या के समायोजन के लिए एच.आई. वी. संक्रमित के रूप में 45 लाख 80 हजार की ऊपरी श्रंखला का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार वर्ष 2001 में 39 लाख 70 हजार संक्रमण के मुकाबले में वर्ष 2002 में लगभग 6 लाख संक्रमण (45 लाख 80 हजार) की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः कर्नाटक, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ए.एन.सी. स्थलों पर देखी गई है जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में यह वृद्धि एस.टी.डी. क्लिनिक स्थलों पर देखी गई है।

पी. एल. डब्लू. एच. ए. (people living with HIV/AIDs) के मानव अधिकारों का अतिक्रमण

- स्वास्थ्य देखभाल तथा उपचार से इन्कार
- रोजगार से वंचन और/अथवा हटाना
- दवाईयों तक पहुँच तथा अनुपलब्धता
- बीमा, चिकित्सा लाभों आदि सहित विभिन्न सेवाओं का वंचन
- सूचना पहुँच की कमी
- कानूनी प्रतिकार तक पहुँच की कमी
- परिवार, पति/पत्नियों, मित्रों तथा रिश्तेदारों सहित सशक्त समर्थन पद्धति की कमी

- एच.आई.वी. पोजिटिव अभिभावकों के बच्चों के साथ भेदभाव/बच्चों के स्कूलों में प्रवेश का भेदभाव

- एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित लोगों का समाज तथा परिवार से बहिष्कार

- एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित लोगों को बच्चों के साथ खेलने, बातचीत करने अथवा खाने से रोकना

एच.आई.वी./एड्स से सम्बद्ध नैतिक विषय

- गर्भवती महिलाओं की जांच सहित पॉलिसी की जांच तथा परख

- गोपनीयता और गुप्तता

- कार्य स्थल पर भेदभाव

- रक्त सुरक्षा तथा सम्बद्ध विषय

- स्वास्थ्य देखभाल तक पुहंच तथा विवरण

- जैव-चिकित्सा अनुसंधान (उदाहरणार्थ टीका तथा दवाओं का विकास तथा जांच; रोकथाम तथा नियन्त्रण में लोक स्वास्थ्य नीतियों का कार्यान्वयन)

एच.आई.वी./एड्स से सम्बद्ध मानव अधिकार सिद्धान्त

एच.आई.वी./एड्स से सम्बद्ध मानव अधिकार सिद्धान्तों में हैः

- अभेदभाव समान सुरक्षा तथा कानून के समक्ष समानता का अधिकार

- जीवन का अधिकार

- शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम साध्य स्तर का अधिकार

- व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा का अधिकार
- अवागमन स्वतन्त्रता का अधिकार
- शरण मांगने तथा आन्नद लेने का अधिकार
- एकान्तता (privacy) का अधिकार
- विचार तथा भाव व्यक्त करने की स्वतन्त्रता का अधिकार तथा स्वेच्छा से सूचना प्राप्त करने तथा देने का अधिकार
- संस्था की स्वतंन्त्रता का अधिकार
- कार्य का अधिकार
- शिक्षा तक समान पहुँच का अधिकार
- समुचित जीवन स्तर का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा कल्याण का अधिकार
- वैज्ञानिक प्रगति को बांटने तथा इसके लाभों का अधिकार
- सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार
- यातना (torture), क्रूरता, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार से स्वतन्त्र रहने का अधिकार

राष्ट्रीय एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रण नीति से उद्धरण

एच.आई.वी./एड्स तथा मानव अधिकार

एच.आई.वी./एड्स के सन्दर्भ में मानव गरिमा की सुरक्षा के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण अनिवार्य है। लोक स्वास्थ्य हित का मानव अधिकारों के साथ कोई टकराव नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि जब

मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है, बहुत कम लोग संक्रमित होते हैं तथा एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित लोग तथा उनके परिवार एच.आई.वी./एड्स से बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। सरकार यह स्वीकार करती है कि लोगों के जो कमजोर तथा एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हैं, मानव अधिकारों के संरक्षण बिना एच.आई.वी./एड्स महमारी के सम्बन्ध में प्रतयुत्तर अपूर्ण रह जायेगा। सरकार प्रभावी अधिकार आधारित अनुक्रिया करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी।

(1) सरकार आपराधिक कानूनों तथा सुधारक पद्वति की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उत्तरदायित्वों के अनुरूप हों तथा उनका एच. आई.वी./एड्स के सन्दर्भ में दुरूपयोग न किया जाए अथवा कमजोर वर्गों के विरूद्व लक्ष्य न बनाया जाए।

(2) सरकार भेदभाव-विरोधी तथा अन्य संरक्षात्मक कानूनों को सुदृढ़ करेगी जो कमजोर वर्गों एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित लोगों तथा विकलांग लोगों को सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में भेदभाव से रक्षा करते हैं, मानव विषयों को शामिल करते हुये एकान्तता, गोपनीयता तथा आचार सुनिश्चित करते हैं, शिक्षा तथा मेलमिलाप पर बल देते है और तीव्र तथा प्रभावी प्रशासनिक तथा सिविल उपचार प्रदान करते हैं।

(3) सरकार गुणात्मक निवारण उपाय तथा सेवाएँ, प्र्याप्त एच.आई. वी. रोकथाम तथा देखरेख सूचना तथा सेवाओं की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(4) सरकार समर्थन सेवाओं को सुनिश्चित करेगी जो एच.आई.वी. /एड्स से प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों के सम्बन्ध में उन्हें शिक्षित करेगी। इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी सेवाएँ प्रदान करेगी तथा एच.आई.वी. सम्बद्व कानूनी विषयों पर सुविज्ञता का विकास करेगी।

(5) सरकार सृजनात्मक, शैक्षिक, प्रशिक्षण तथा एच.आई.वी./एड्स से सम्बद्व भेदभाव तथा कलंक के प्रति समाज के रवैये को बदलने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार किए गए मीडिया कार्यक्रमों के विवरण को प्रोत्साहन देगी ।

(6) सरकार समुदाय के सहयोग और उसके जरिए समुदाय बातचीत, विशेष रूप से तैयार की गई सामाजिक तथ सेवाओं तथा समुदाय समूहों को समर्थन के जरिए अन्तर्निहित द्वेष तथा असमनताओं का समाधान करके महिलाओं,बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए समर्थक तथा योग्य बनाने वाले वातावरण को प्रोन्नत करेगी।

(7) सरकार एच.आई.वी. सम्बद्ध मानव अधिकार विषयों से सम्बन्धित जानकारी और अनुभव बांटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एड्स सहित सभी सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एच.आई.वी./एड्स के सन्दर्भ में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी तंत्र को सुनिश्चित करेगी।